भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-352

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

"एक राष्ट्र, एक सदस्यता" (वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन) योजना

*352. **श्री संजय हरिभाऊ जाधव:**

श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "एक राष्ट्र, एक सदस्यता" (वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन) पहल और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और प्लेटफार्मों में इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसंरचना का एकीकरण और उसकी सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) इस पहल की सफलता का आकलन करने के लिए प्रयुक्त मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार वंचित छात्रों के लिए डिजिटल अवसंरचना और क्षमता निर्माण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने का है;
(ङ.) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान शैक्षणिक संस्थानों की कार्यकारी समितियों का गठन नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या सरकार का विचार उपरोक्त शिक्षण संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्यों श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री संजय उत्तमराव देशमुख द्वारा 'एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना' के संबंध में दिनांक 18/08/2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 352 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) नाम से एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचईआई) और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को विद्वतापूर्ण शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशनों तक पहुँच प्रदान करना है। ओएनओएस में कुल तीस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिका प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत टियर-2 और टियर-3 शहरों के सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं सहित 6,300 से अधिक ऐसे संस्थान शामिल हैं। पत्र-पत्रिका तक पहुँच एक राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसका समन्वय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (इंफलिबनेट) द्वारा किया जाता है। यह पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से होता है।

पत्र-पत्रिका तक पहुंच के लिए एक समर्पित पोर्टल https://onos.gov.in विकसित किया गया है। संस्थाएं निम्नलिखित दो में से किसी पद्धति का उपयोग करके इस पोर्टल के माध्यम से पत्र-पत्रिका तक पहुंच सकता है:

- बड़े उच्चतर शिक्षा संस्था और अनुसंधान एवं विकास संगठन जिनके पास उनका निश्चित आईपी पता है, उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से पहुंच सकते हैं,
- जिन संस्थाओं के पास पर्याप्त मजबूत डिजिटल अवसंरचना नहीं है, वे इंफलिबनेट की इनफेड सुविधा के माध्यम से ओएनओएस द्वारा उपलब्ध कराए गए विद्वतापूर्ण के लेखों तक पहुंच सकते हैं।

यह सुविधा इस प्रकार विकसित की गई है कि ग्रामीण और सुदूर के क्षेत्रों के संस्थाएं अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके किसी भी इंटरनेट युक्त कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं।

इनफ्लिबनेट ने ओएनओएस में शामिल प्रकाशकों के पत्र-पत्रिकाओं लेखों का उपयोग करने हेतु "इन्फिस्टेट्स" नामक एक ऑनलाइन सुविधा विकसित की है। जनवरी से जून 2025 के दौरान, 5.5 करोड़ से अधिक लेख डाउनलोड किए जा चुके हैं।

भारत सरकार ने एक सुरक्षित और मजबूत भारतीय नेटवर्क प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) की भी स्थापना की है, जो संसाधनों के सहभाजन और सहयोगपूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च गति वाली डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के ज्ञान संस्थाओं को अंत:संबद्ध करती है।

(ङ.) और (च): शिक्षा मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में तहत आने वाले सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यकारी परिषदों का गठन किया गया है, जिनमें हाल ही में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय अर्थात् सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय शामिल है। कार्यकारी परिषदों में समय-समय पर रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और उन्हें उनके संबंधित अधिनियमों और संविधियों में निर्धारित उचित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाता है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्वायत्त संस्थाएं, संसद द्वारा पारित उनके अपने-अपने अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित होते हैं और इस अधिनियमों और संविधियों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। उनके संबंधित अधिनियमों/संविधियों में प्रशासनिक विलंब को कम करने, शीघ्र नीतिगत निर्णय लेने और उनके कामकाज की समीक्षा करके उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।

*****